

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/1049

जयपुर.दिनांक: 05/01/18

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनो की बकाया लीज राशि (lease amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। इस छूट का लाभ दिनांक 28 फरवरी 2018 तक प्रभावी रहेगा। उक्त छूट दिये जाने हेतु नगरीय निकाय व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकतम वसूली किये जाने का यथा संभव प्रयास करेगे।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आईडी संख्या 101706455 दिनांक 01.01.18 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/1050-1568
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 05/01/18

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए।
4. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी/समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए
5. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त।
7. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
8. नोडल अधिकारी मॉनेटरीग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी